



21वीं सदी में मातृभाषा 'हिन्दी' का संरक्षण एवं संवर्द्धन

श्रीमती शिखा माथुर

हिन्दी विभागाध्यक्षा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बेंगलुरु ईस्ट

Article Info

Publication Issue :

January-February-2023
Volume 6, Issue 1

Page Number : 49-54

Article History

Received : 01 Feb 2023
Published : 15 Feb
2023

ABSTRACT

सारांश (Abstract) - देवभाषा संस्कृत से निःसृत हिन्दी भाषा भारतदेश में सदैव से देशवासियों के कंठ का हार बनकर रही है और जन-जन के मन-मस्तिष्क व हृदय में व्याप्त भाव-विचारों को प्रकट करने एवं लोगों में परस्पर मेल-मिलाप बढ़ाने में सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। यह हमारे देश की मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा मानी जाती रही है। वर्षों से भारत देश के ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल, साहित्य-संस्कृति, धर्म-दर्शन आदि सभी को व्यापकता से अपने में सहेज कर रखने वाली और उसकी संवाहक बनी हुई इस भाषा ने सदैव से जन-जन का बहुशः उपकार किया है। अपनी उदारता, समन्वय और सामंजस्य की प्रवृत्ति के चलते ही इस भाषा ने कभी किसी धर्म, संस्कृति या सम्प्रदाय का विरोध न करके सभी को सहर्ष स्वीकारा एवं आत्मसात् किया है। परन्तु आज 21वीं सदी में यह भाषा बहुत उपेक्षित हो रही है; क्योंकि प्रायः सर्वत्र विदेशी भाषा- अंग्रेजी ने अपने पैर पसार रखे हैं तथा वह हर एक क्षेत्र, संस्था और कार्यालय में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए है। आज अपने ही देश में अपनी मातृभाषा उपेक्षित हो चुकी है और विदेशी भाषा सभी के सर चढ़कर बोल रही है। देश के समस्त अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अंग्रेजी हावी है, यह स्थिति सभी हिन्दुस्तानियों के लिए बड़ी शर्मनाक भी है और चिंतनीय भी। देश के कुछ क्षेत्रों एवं राज्यों में तो जैसे इसका अस्तित्व ही समाप्ति के कगार पर पहुँचा चुका है। यथा- मैं अपने ही प्रदेश दक्षिण भारत और यहाँ के विभिन्न राज्यों को देखूँ तो यहाँ सर्वत्र हिन्दी की स्थिति बहुत चिंताजनक बन चुकी है; क्योंकि यहाँ स्थानीय अथवा राज्यभाषा और अंग्रेजी भाषा का ही वर्चस्व बना हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें अपने देश की इस गौरवमयी भाषा को बचाना और इसके अस्तित्व को सुदृढ़ करना अत्यावश्यक बन जाता है और इस हेतु उचित प्रसास बहुत जरूरी हैं।

संकेताक्षर- देववाणी, अस्तित्वमान, विखण्डन, कालखण्ड, सुसंस्कृत, शीर्षस्थ, सम्राज्ञी, अस्मिता, विचारोपागम, पखवाड़ा।

विषय विवेचन - वर्तमान इक्कीसवीं सदी का युग हर तरह से उन्नति, प्रगति और विकास का युग है। जिन चीजों का कभी अस्तित्व भी नहीं था, विकास के इस दौर में नित नए अनुसंधानों ने उन चीजों को भी जन्म दे डाला। मोबाइल, कम्प्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट फोन, सोशल मीडिया तथा भाँति-भाँति के तकनीकी- यान्त्रिक उपकरण और सुविधाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि यह युग विकास एवं प्रगति का युग है। ऐसे विकास के युग में यदि वर्षों पूर्व से अस्तित्वमान, विकसित और देश को जोड़ने वाली 'हिन्दी' भाषा का पतन और अस्तित्व समाप्त होने लगे तो यह बात निःसन्देह अतिदुःखदायी और विचलित व चिन्तित करने वाली है। हिन्दी भाषा कहीं बाहर से आई हुई भाषा नहीं, वरन् देववाणी संस्कृत से निकली हुई हमारी अपनी भाषा है और सहस्रों वर्षों से हिन्दुस्तानियों की जुबान एवं मन-मस्तिष्क पर अपना स्थान बनाए हुए रही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न भाषाभाषी प्रदेशों में भी यह जन-जन की भाषा बनी रही और हिन्दी से इतर भाषाभाषी लोगों ने भी इस भाषा को अपनाया तथा पर्याप्त साहित्य सृजन अथवा लेखन कार्य भी करते रहे। इसके अलावा बाहर से आई हुई संस्कृतियों और वहाँ के लोगों की भाषा व संस्कृति के साथ समन्वय बनाए रखा तथा उनकी भाषा के शब्दों को भी सहज ही स्वीकार किया; कभी किसी से विरोध एवं हठधर्मिता इस भाषा में नहीं देखी गई।

देश की स्वतन्त्रता से पहले के कालखण्ड में यदि हम झाँककर देखें तो पाते हैं कि विदेशी दासता के कारण देश के विखण्डन के समय विषम परिस्थितियों में भी हिन्दी भाषा ने देश के विभिन्न प्रदेशों के अलग-अलग धर्म, जाति व सम्प्रदाय के लोगों को भाईचारे और अपनत्व के साथ एकसूत्र और समरसता में बाँधे रखा और यह समस्त भेदभावों से परे जन-जन की लोकप्रिय और वरणीय भाषा बनी रही।ⁱ स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी इस भाषा ने लोगों को एक संकल्प, मन्तव्य और अवधारणा में बाँधे रखा तथा समस्त हिन्दुस्तानियों के सम्पर्क और विचाराभिव्यक्ति का माध्यम बनी रही। 'गुजराती' स्वामी दयानन्द सरस्वती; 'बंगाली' राजा राममोहन राय; 'मराठी' बाल गंगाधर तिलक तथा अन्य भी बहुत से हिन्दीतर भाषाभाषी विचारकों, दार्शनिकों, समाज सुधारकों, स्वतन्त्रता सेनानियों, रचनाकारों तथा राष्ट्रभक्त महान् विभूतियों ने इस भाषा की महत्ता को समझा और इसे अपनाया भी। पत्र-पत्रिकाⁱⁱ तथा साहित्य लेखनⁱⁱⁱ एवं सम्पादन में उन्होंने इस भाषा को अग्रणी रखा। बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान् राजेन्द्र लाल मिश्र ने हिन्दी को भारतदेश की सुसंस्कृत, सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण देशी भाषा माना; इसलिए उन्होंने इस भाषा के विषय में स्पष्टतः अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि- "हिन्दी भारतीय देशी भाषाओं में सबसे प्रचलित भाषा है। यह हिन्दू जाति की सबसे सुसंस्कृत क्षेत्र की भाषा है।"^{iv} निःसन्देह हिन्दुस्तानियों और हिन्दुओं के देश भारतवर्ष में हिन्दी सदैव से यहाँ की संस्कृति और संस्कारों की संवाहक भाषा बनकर जन-जन को संस्कारित और मर्यादित बनाती रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। जनमानस की भावनाएँ सदैव से हिन्दी भाषा के साथ बनी रही हैं। औपचारिक एवं संवैधानिक रूप से भले ही इसे केवल राजभाषा स्वीकार किया गया है^v और राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया तो, परन्तु इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि यह हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अखिल भारतीय भाषा है। क्योंकि सदैव से यह समस्त हिन्दुस्तानियों की आवाज और सम्पर्क का माध्यम बनी रही है और अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के रूप में देश के विस्तृत भू-भागों में प्रचलित रही है।^{vi} देश की स्वाधीनता के बाद पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 30 जुलाई, सन् 1956 को राज्यों के पुनर्गठन

विधेयक पर बोलते हुए हिन्दी के अखिल भारतीय भाषा बनाए जाने को लेकर कहा था कि हिन्दी को किसी भाषायी विशेषता के कारण अखिल भारतीय भाषा नहीं बनाया गया, बल्कि इसलिए बनाया गया, क्योंकि यह देश के अधिकांश भागों में फैली हुई है।^{vii} महात्मा गाँधी एवं बालगंगाधर तिलक, जो कि क्रमशः गुजरात और महाराष्ट्र से थे, इन्होंने भी अपने-अपने प्रान्तों की भाषाओं- गुजराती व मराठी को अपनाकर भी हिन्दी भाषा के प्रतिप्रेम को नहीं छोड़ा और राष्ट्रीय स्वाभिमान व भारतीय जनसम्पर्क की भाषा के रूप में एकमात्र हिन्दी को ही सर्वाधिक उपयुक्त भाषा स्वीकार करते हुए इसे अपनाए रखने पर बल दिया। मराठी भाषाभाषी तिलक ने हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका और गौरव को जान-पहचानकर हिन्दी बोलना भी सीखा और अपने प्रसिद्ध मराठी समाचार पत्र 'केसरी'^{viii} का 'हिन्दी केसरी' नाम से हिन्दी संस्करण प्रारम्भ करवाया।^{ix} महात्मा गाँधी ने सत्य की लड़ाई के लिए तथा सत्याग्रह के लिए हिन्दी भाषा को आवश्यक माना और स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल हिन्दी ही वह भाषा है जिसका हम राष्ट्रभाषा के रूप में उपयोग कर सकते हैं।^x

इस प्रकार हम देख-समझ सकते हैं कि सदैव से हमारे देश की एकता, सामाजिक समरसता को बनाए रखने वाली और लोगों के विचारोपागम की संवाहिका रही हिन्दी भाषा का महत्व सदैव से रहा है। परन्तु वर्तमान में यही गौरवमयी राष्ट्र व मातृभाषा अपना यह स्थान व मूल्य खोती जा रही है। क्योंकि आज सम्पूर्ण देश में हर स्थान और क्षेत्र में विदेशी भाषा अंग्रेजी हावी हो रही है। इस विदेशी भाषा ने अपने ही देश में शीर्षस्थ सिंहासन पर आसीन हमारी अपनी गौरवमयी, सुमधुर और भावप्रवण भाषा को न केवल उपेक्षित व पराया कर दिया है, वरन् अपने शीर्षस्थ स्थान से उखाड़ फेंका है। यह स्थिति बहुत चिंतनीय एवं वेदनीय बनी हुई है। क्योंकि आज सर्वत्र- विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अथवा समस्त शिक्षण संस्थानों में, जिनका कि नवीन पीढ़ी के विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ाने और उसके गौरव से अवगत कराने का दायित्व बनता है, वहाँ हिन्दी की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है और अंग्रेजी को हद से ज्यादा प्रधानता दी जा रही है। यहाँ तक कि अनेक शिक्षण संस्थाओं में तो हिन्दी को समाप्त कर दिया गया है और समस्त विषय अंग्रेजी भाषा एवं राजभाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। हर ओर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का चलन बढ़ रहा है और हिन्दी माध्यम के विद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रति न केवल हीनदृष्टि और उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है, वरन् उन्हें आगे जाकर रोजगार भी प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि वे जहाँ भी- जिस क्षेत्र में जाते हैं, हर जगह कम्पनियाँ व संस्थाएँ उन्हें हिन्दी माध्यम से पढ़ा हुआ होने के कारण अयोग्य ठहराती हैं। कारण, उनके यहाँ का सारा काम-काज अंग्रेजी भाषा में होने के कारण उन्हें हिन्दी माध्यम से पढ़े कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती और वे अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए को ही अपने यहाँ रोजगार देते हैं। इसके अलावा जहाँ देखो वहाँ जितने भी आयोजन-कार्यशालाएँ, संगोष्ठी, सम्मेलन अथवा कोई भी समारोह होता है, वहाँ सर्वत्र हिन्दी नदारद और अंग्रेजी व्यापकता के साथ प्रतिष्ठित रहती है। जिन्हें देख-सुनकर यह जरा भी आभास नहीं होता कि हम हिन्दीभाषी हिन्दुस्तान में रह रहे हैं, वरन् उस परिवेश को देखकर यही प्रतीत होता है कि हम किसी अंग्रेजी राष्ट्र में रह रहे हैं और पूरी तरह अभी भी अंग्रेजियत के गुलाम बने हुए हैं। हर ओर अंग्रेजी के वर्चस्व व हमारी जीवन शैली में उसके प्रभाव की व्यापकता को देखकर यह कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं कि हम केवल राजनैतिक एवं बाहरी रूप से विदेशी अंग्रेजी शासन से मुक्त एवं स्वतन्त्र

हुए हैं, मानसिक एवं भाषायी दासता में अभी भी पूरी तरह आबद्ध हैं। यह स्थिति हमारी स्वाधीनता और देश के गौरव-गरिमा के एकदम खिलाफ बनी हुई है।

देश में हिन्दी के संरक्षण व संवर्द्धन के हेतु उसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार अत्यावश्यक मानकर औपचारिक रूप से भले ही बहुत सी सरकारी एवं गैर सरकारी-स्वायत्तशासी संस्थाएँ इस दिशा में बहुत समय से कार्य कर रही हैं और अपनी ओर से यथासम्भव योगदान भी देने में पीछे नहीं हैं। यथा- पूर्वांचल के विभिन्न राज्य हों या दक्षिण भारत अथवा उत्तरभारत हो या देश का पश्चिमी प्रदेश - सभी क्षेत्रों और अंचलों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार और इसकी सुदृढ़ता व संवर्द्धन हेतु अनेक हिन्दी सेवी संस्थाएँ स्वतन्त्रता से पहले से लेकर अद्यतन अस्तित्वमान रही हैं और हिन्दी की स्थिति सुधारने व उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर काम करने हेतु स्थापित व संचालित हैं।^{xi} परन्तु क्या इनके कार्य एवं प्रयास सही दिशा और दशा में हो रहे हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि इन संस्थाओं की स्थापना का मूल उद्देश्य और कार्य-प्रयास व योगदान तब सवालों के घेरे में आ जाते हैं, जबकि आज हम हिन्दी की इस दयनीय एवं पतित स्थिति को देखते हैं कि उसके अस्तित्व को ही बचाना एक भीषण चुनौती बन गया है। क्योंकि जो स्थिति आज पूरे भारत वर्ष में हिन्दी की बनी हुई है, उसे देखकर यह रंचमात्र भी नहीं लगता कि 'केन्द्रीय हिन्दी संस्थान', 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा', 'हिन्दी प्रचार समिति', 'कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति', 'हैदराबाद हिन्दी प्रचार सभा', 'मणिपुर हिन्दी परिषद्' तथा 'मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' और इसी प्रकार समस्त देश के विभिन्न अंचलों व राज्यों में हिन्दी के प्रचार-प्रसारार्थ स्थापित व संचालित ये विभिन्न संस्थाएँ, सेवा व प्रचार समितियाँ अपने ध्येय में सफल हो पा रही हैं। क्योंकि 'चिराग तले अंधेरा' की कहावत की तरह आज इन संस्था व समितियों में ही बहुत सा कार्य-व्यवहार अंग्रेजी भाषा में हो रहा है। पत्र, सूचनाओं आदि का आदान-प्रदान हिन्दी में न होकर अंग्रेजी भाषा तथा अपने-अपने राज्यों की राजभाषाओं में ही होता देखा जा सकता है। यह हिन्दी के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। वर्ष में एक दिन 14 सितम्बर 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है और उस दिन तथा हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में हिन्दी सप्ताह एवं हिन्दी पखवाड़ा भी आयोजित किया जाता है। परन्तु केवल एक दिन, सप्ताह एवं पखवाड़े में हिन्दी का प्रयोग-व्यवहार हिन्दी को नहीं बचा सकता, ऐसे में जबकि विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर और सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं व अन्य संस्थानों तक सभी में हिन्दी की पूर्ण उपेक्षा और उसके अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह विचारणीय है कि क्या हम हिन्दी को बढ़ावा दे रहे हैं या उसे खत्म कर रहे हैं? निःसन्देह आज हर ओर हिन्दी को खत्म किया जा रहा है। यह बात वहाँ सर्वाधिक लागू होती देखी जा रही है जहाँ कि लोग अपने को अधिक पढ़े-लिखे, सभ्रान्त व उच्च स्तरीय और आधुनिक मानते हैं। क्योंकि वे पाश्चात्य सभ्यता व उनकी जीवनशैली को अपनाकर और स्वयं की संस्कृति व सभ्यता को भुलाकर विदेशियत के गुलाब बन चुके हैं। ऐसे में उन्हें अपनी गौरवमयी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा अपमानजनक एवं अपनी शान में बाधक लगती है और इसी शान व गुलाम मानसिकता के चलते वे हिन्दी को त्याग चुके हैं तथा त्याग रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या देश में भरपूर है। वहीं यदि हम निम्नस्तरीय जनजीवन को देखें और ग्रामीण परिवेश को देखें तो हमें गर्व होगा कि ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारी हिन्दी बची हुई है।

क्योंकि वे लोग अपने कार्य-व्यवहार में इस भाषा को पूरी तरह अपनाए हुए हैं। केवल वे अंग्रेजी भाषा या अन्य भाषाओं को तभी अपनाते हैं, जबकि उन्हें कहीं शिक्षा, रोजगार या अन्य कार्यों को साधने में हिन्दीतर कोई भाषा अनिवार्य या उनकी मजदूरी हो जाती है। इस प्रकार अनपढ़, कम पढ़ा-लिखा और ग्रामीण जन तथा आर्थिक दृष्टि से गरीब या निम्नवर्गीय तबका आज भी अपनी इस भाषा के प्रति समर्पित है तथा सच्चा हिन्दुस्तानी बन हिन्दी से प्रेम करता है। मेरी दृष्टि में ये हिन्दी प्रेमी एवं हिन्दी संरक्षणकर्ता ही वास्तव में सभ्रान्त व जागरूक राष्ट्रभक्त हैं; क्योंकि उन्होंने अपनी धरोहर 'हिन्दी भाषा' को अपना रखा है और बचा रखा है।

वैसे हिन्दी के विषय में एक सत्य यह भी है कि यह केवल भारतदेश में ही नहीं, वरन् भारत से बाहर विदेशों में भी अपना अस्तित्व और पहचान रखती है। हाल ही में 12 फरवरी, वर्ष 2023 को देश के एक प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्र 'राजस्थान पत्रिका' में 'अमेजिंग फैक्ट्स' नामक कॉलम में यह तथ्य प्रकाशित हुआ कि- "भारत, पाकिस्तान, फीजी, मारिशस, सूरीनाम, अरब देशों तक फैली हुई हिन्दी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है।"^{xii} परन्तु यह भी सत्य है भारत में हिन्दी का व्यवहार करने वाले लोगों की संख्या घट रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलचाल की भाषा में भले ही यहाँ के अधिकांश जन इस भाषा को अपनाए हुए हैं, परन्तु शिक्षा, रोजगार, मीडिया, व्यापारादि क्षेत्रों में तथा सभी शिक्षण संस्थाओं, कार्यालयों और संस्थानों में पठन-पाठन व लेखक कार्यों में शत-प्रतिशत हिन्दी नदारद और अंग्रेजी अब्बल बनी हुई है। हालाँकि, समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंचों पर हिन्दी ने अवश्य अपना परचम भी लहराया है।^{xiii} अभी हाल ही में हिन्दी के विषय में एक संतोषजनक एवं हिन्दी प्रेमियों को प्रफुल्लित करने वाली बात भी देखी गई है कि नाडी, फिजी में 16-18 फरवरी, 2023 को '12वां विश्व हिन्दी सम्मेलन' सम्पन्न हुआ।^{xiv} 'भारतीय विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार' की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में विश्वभर से हिन्दी भाषाविद् विभिन्न विद्वान्, लेखक, साहित्यकार और हिन्दी प्रेमी उपस्थित हुए। इसमें दुनियाभर में हिन्दी का दबदबा भी देखा गया तथा हिन्दी को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु विचार मंथन, प्रयास और संकल्प लिए गए।^{xv} ऐसे ही आयोजन और उनके उद्देश्य सफल व सार्थक होते रहें तो अवश्यमेव हिन्दी का गौरव और अस्मिता सुरक्षित एवं संवर्द्धित होता रहेगा तथा हिन्दी पुनः भाषा-सम्राज्ञी के शीर्षस्थ पद पर आसीन होगी। परन्तु इसके लिए प्रत्येक हिन्दुस्तानी को केवल कथनी से नहीं, वरन् करनी से हिन्दी की सेवा और साधना करनी होगी, तभी हिन्दी के भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा होने की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी।

संदर्भ सूची -

- i हिन्दी: भारत व विदेशों में: डॉ. दीपिका विजयवर्गीय, नवलोक प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, वर्ष-2017
- ii वही, पृष्ठ-5, बंगाली- राजाराम मोहन राय ने अन्य भाषाओं के अतिरिक्त हिन्दी भाषा में बंगदूत का सन् 1826 में प्रकाशन किया।

- iii 'सत्यार्थ प्रकाश' - स्वामी दयानन्द सरस्वती ने गुजराती होने के बावजूद 'सत्यार्थ प्रकाश' नामक दार्शनिक ग्रन्थ हिन्दी में ही लिखा।
- iv मीडिया: विश्व मंच पर हिन्दी, पृष्ठ-116, आलेख- श्रीश चन्द्र जैसवाल "राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी: अतीत के झरोखे से" में उल्लेखित।
- v भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
- vi हिन्दी भाषा और भारतीय संस्कृति, डॉ. शंकर दयाल शर्मा।
- vii वही, पृष्ठ-43
- viii 'केसरी' - मराठी भाषा का समाचार-पत्र, जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 4 जनवरी सन् 1881 में की थी।
- ix देखें- हिन्दी पत्रकारिता: जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण भूमि, कृष्णबिहारी मिश्रा, नई दिल्ली, भारतीय जनपथ, पाँचवा संस्करण, पृष्ठ- 293 'हिन्दी केसरी' पत्र को पण्डित माधवराव सप्रे ने 13 अप्रैल सन् 1907 को छापना आरम्भ किया, जो कि तिलक के केसरी का हिन्दी संस्करण था। सप्रे ने तिलक की अनुमति से ही इसका प्रकाशन आरम्भ किया।
- x हिन्दी: भारत व विदेशों में, डॉ. दीपिका विजयवर्गीय, पृष्ठ-5 पर उल्लेखित
- xi वही, अध्याय-2 'भारत में हिन्दी का प्रचार-प्रसार'।
- xii 'राजस्थान पत्रिका' समाचार-पत्र, जयपुर दिनांक 12 फरवरी, 2023 में उल्लेखित तथ्य।
- xiii हिन्दी: भारत व विदेशों में, अध्याय-3, पृष्ठ 58-65 'अन्तर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंच पर हिन्दी' एवं 'मीडिया: विश्व मंच पर हिन्दी'।
- xiv 'राजस्थान पत्रिका' समाचार-पत्र, जयपुर, 15 फरवरी 2023 बुधवार, में प्रकाशित खबर- "नाडी में सम्मेलन से पहले 'चहकती' नजर आई हिन्दी"।
- xv वही, जयपुर, 18 फरवरी, 2023, शनिवार, में प्रकाशित "दुनिया में बढ़ रहा हिन्दी का दबदबा..... मगर बहुत काम है अभी बाकी"।